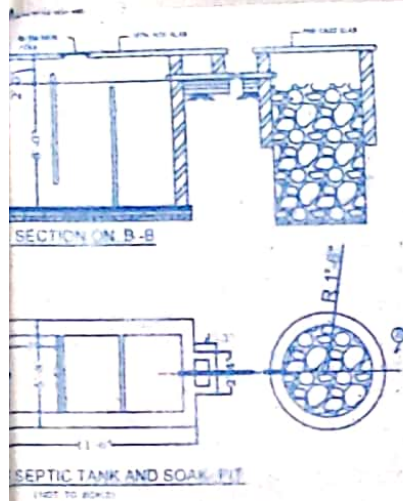
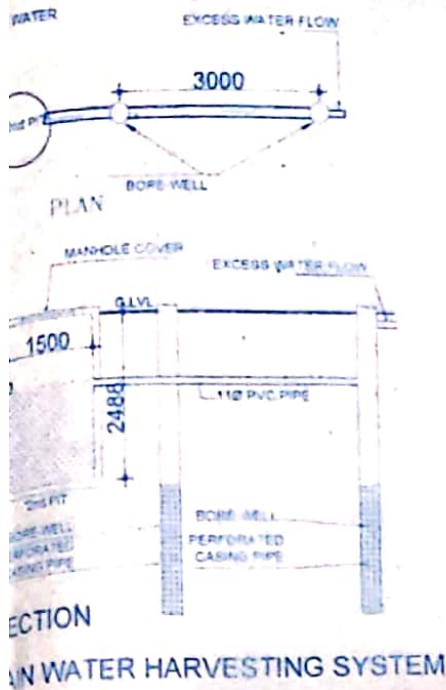


कार्यालय नगर निगम, पूर्णियाँ।

आवेदक फलक

दिनांक	कार्यालय अथवा नगराभ्युक्त अथवा अन्य निरीक्षण पदाधिकारी तथा पदाधिकारी की आज्ञा एवं हस्ताक्षर	आज्ञानुसार कारवाई जो की गई उसकी टिप्पणी
	अभिलेख संख्या... 427/18-19 आवेदक/आवेदिका <u>राज कुमार चौहान</u> पिता/पति... <u>श्री. राजेश कुमार चौहान</u>... मुहल्ला/पता... <u>पिनकोड 226001, का. 1, रोजी</u> वार्ड सं०. 25. द्वारा आवेदन-पत्र के साथ भवन मानचित्र की मूलप्रति सहित पौंच प्रति में अंचल द्वारा निर्गत रसीद, शुद्धि पत्र, शपथ-पत्र की प्रति के साथ भवन निर्माण के नक्शा स्वीकृति हेतु समर्पित किये हैं। आवेदक/आवेदिका द्वारा खाता सं०. 751, खेसरा सं०. 511, रकबा... 4.5500/1608 होस्टिंग सं०. 18. वार्ड सं०. 25., जो प्रधान मुख्य सड़क/मुख्य सड़क/अन्य सड़क पर अवस्थित है, पर भवन निर्माण हेतु नक्शा स्वीकृत करना चाहते हैं। प्रस्तावित भवन मानचित्र आवासीय/व्यवसायिक प्रयोजन का वास्तुविद/अभियन्ता/पर्यवेक्षक का प्रतिवेदन संलग्न है। अतः भवन मानचित्र की स्वीकृति संलग्न कागजातों के आधार पर स्वीकृत करने हेतु वांछित शुल्क आवेदक से जमा करके अभिलेख उपास्थापित करें। मानचित्र प्रभारी नगर प्रबंधक नगर आयुक्त, नगर निगम, पूर्णियाँ	
	अभिलेख उपास्थापित/आवेदक के द्वारा वांछित शुल्क नो. 24620 रसम रसीद संख्या <u>51301</u> द्वारा जमा कर दिया गया है। रसीद का छायाप्रति संलग्न है। भवन मानचित्र नगर निगम द्वारा निबंधित वास्तुविद/अभियन्ता/पर्यवेक्षक श्री <u>म. न. ज. कुमार...</u> द्वारा तैयार किया गया है। इनके द्वारा प्रमाणित किया गया है कि यह मानचित्र भूकम्प निरोधी एवं भवन उपविधि-2014 के प्रावधान के अनुरूप है। वास्तुविद/अभियन्ता/पर्यवेक्षक के द्वारा वांछित भूमि का कागजात की छायाप्रति वास्तुविद/अभियन्ता/पर्यवेक्षक के द्वारा प्रपत्र- <u>D.M. IV. V.</u> में सभी संबंधित वांछित Combined Affidavit/Undertakings/Declarations प्रतिवेदन समर्पित किया गया जो संलग्न है। उक्त के <u>प्रतिवेदन के</u> आलोक में भवन मानचित्र की स्वीकृति दिया जाता है। जिसकी प्रति आवेदक/वास्तुविद/अभियन्ता/पर्यवेक्षक को उपलब्ध करा दी। मानचित्र प्रभारी नगर प्रबंधक नगर आयुक्त, नगर निगम, पूर्णियाँ	



Signature
23/6/18
Engr. Raj Kumar Sahu
B.E. (Civ)
Chartered Engineer (India)
Nagar Nigam, Purnea
Reg. No-12/2015

Signature of Owner

Signature of M. Authority

SPECIFICATION -

1. CONC MIX FOR FOOTING, TIE BEAM - M20 (1:1:5:3)
2. CONC MIX FOR COLUMNS - M20 (1:1:5:3)
3. SUPER STRUCTURE
- 1ST CLASS B/W IN SUPER STRUCTURE WITH CEMENT MORTAR
3. CLEAR COVER FOR BAR IN FOOTINGS - 50mm
4. CLEAR COVER FOR BAR IN COLUMN - 40mm
5. CLEAR COVER FOR BAR IN TIE BEAM - 40mm
6. DEVELOP LENGTH FOR BAR - 48 x DIA OF BAR.
14. ALL DIMENSIONS ARE IN FEET & INCH
15. ALL TIE BEAMS ARE AT PLINTH Lvl.
16. FOUNDATION - R.C.C FOOTING

AS/STRUCTURAL DESIGN

Schedule of Doors & Windows

Type	Size	Description
D1	3'6"X7'0"	Panaled Doors
D2	3'0"X7'0"	" "
D3	2'6"X7'0"	" "
W1	5'0"X4'6"	Glazed Windows
W1	3'0"X4'6"	" "
W1	2'0"X2'6"	" "

PLOT BOUNDARY.

North- Road 40'-0"
South- G.C.Chandra
East - T. Kumar
West - G. C. Rudra

PLOT DETAILS.

FAR = 2.01

PLOT AREA = 4350.80 SFT(404.27Sqm)
G.F. B/U Area = 209.00 SFT(19.42Sqm)
1st F. B/U Area = 2139.00 SFT(198.79Sqm)
2nd F. B/U Area = 2139.00 SFT(198.79Sqm)
3rd F. B/U Area = 2139.00 SFT(198.79Sqm)
4th F. B/U Area = 2139.00 SFT(198.79Sqm)
Total b/u Area = 8765.00 SFT(814.59Sqm)
Parking Area = 298.18Sqm.

PROPOSED RESIDENTIAL BUILDING PLAN FOR

SRI RAJ KUMAR SAHU

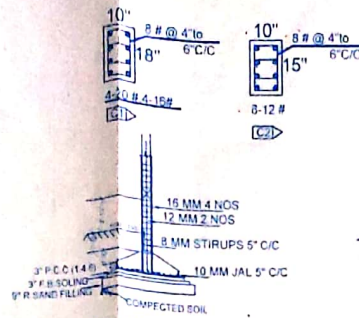
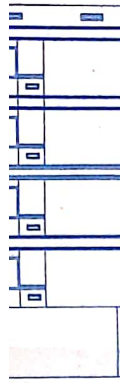
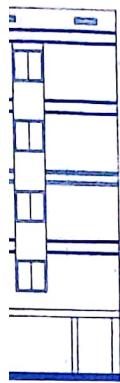
S/O SRI ASRAFI SAHU

AT - VIVEKANAND COLONY,

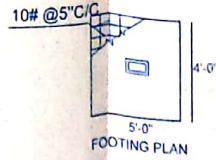
DIST- PURNEA

KHATA NO.- 751, KHESRA NO.- 511A,B,C,D

WARD NO.- 25, HOLD. NO.- 18



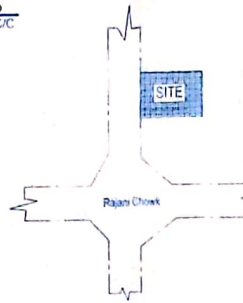
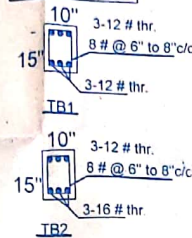
Anti Earthquake Design



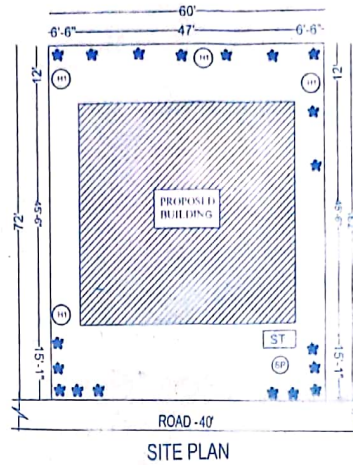
FOOTING PLAN

- ★ --- Green Area Plantation
- H1 --- Harvesting Pit

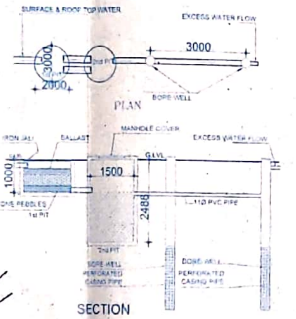
TIE BEAM SIZE:



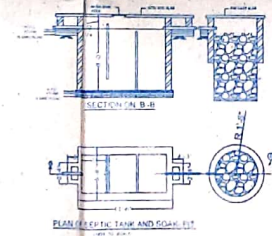
LOCATION PLAN (N.T.S)



SITE PLAN



RAIN WATER HARVESTING SYSTEM



Roof projection east side not mentioned in plan

SPECIFICATION -

1. CONC. MIX FOR FOOTING, TIE BEAM - M20 (1:1.5:3)
2. CONC. MIX FOR COLUMNS - M20 (1:1.5:3)
3. SUPER STRUCTURE - 1ST CLASS B/W IN SUPER STR. WITH CEMENT MORTAR
4. CLEAR COVER FOR BAR IN FOOTINGS - 50mm
5. CLEAR COVER FOR BAR IN COLUMN - 40mm
6. CLEAR COVER FOR BAR IN TIE BEAM - 40mm
7. DEVELOP. LENGTH FOR BAR - AS PER IS 456
8. ALL DIMENSIONS ARE IN FEET & INCH
9. ALL TIE-BEAMS ARE AT PLINTH LVL
10. FOUNDATION - R.C.C. FOOTING
11. AS/STRUCTURAL DESIGN

Schedule of Doors & Windows

Type	Size	Description
D1	30"X70"	Panala Doors
D2	30"X70"	" "
D3	25"X70"	" "
W1	50"X45"	Glazed Windows
W2	30"X45"	" "
W3	20"X26"	" "

PLOT BOUNDARY.

North- Road 40'-0"
South- G.C. Chandra
East - T. Kumar
West - G. C. Rudra

PLOT DETAILS.

PLOT AREA	= 4350.80 SFT (404.278sqm)
G.F. B/U Area	= 209.00 SFT (19.428sqm)
1st F. B/U Area	= 2139.00 SFT (198.798sqm)
2nd F. B/U Area	= 2139.00 SFT (198.798sqm)
3rd F. B/U Area	= 2139.00 SFT (198.798sqm)
4th F. B/U Area	= 2139.00 SFT (198.798sqm)
Total b/u Area	= 8765.00 SFT (814.598sqm)
Parking Area	= 298.188sqm.

PROPOSED RESIDENTIAL BUILDING PLAN FOR
SRI RAJ KUMAR SAHU
S/O SRI ASRAFI SAHU
AT - VIVEKANAND COLONY,
DIST- PURNEA
KHATA NO.- 751, KHESRA NO.- 511A,B,C,D
WARD NO.- 25, HOLD NO.- 18

Sig of Engineer
S. C. (CIV)
Chartered Engineer
Nagar Nigam, Purnea
Reg. No-12/2015

Sig of Owner

Sign. of M. Authority

Handwritten signature and stamp
कनीय अभिबन्धित
नगर निगम, पुरनिया

कार्यालय नगर निगम, पूर्णियाँ

फारम-IV

संरचनात्मक स्थायित्व का प्रमाण-पत्र
उप-विधि सं०- 5(6) VIII & 6(2), नोट-2

.....2/8/21..... नगर निगम/नगर परिषद/नगर पंचायत/महानगर क्षेत्र/बिहार शहरी आयोजना
तथा विकास अधिनियम, 2012 के अधीन अधिसूचित विकास योजना/आयोजना
प्राधिकार/आयोजना स्कीम के प्लॉट नं० (सी०एस०) 511 प्लॉट नं० (एम०एस०पी०) 12/01/14
..... खाता नं० 751 होलिंग नं० 18 गाँव 4/6 मोहल्ला 12/01/14
वार्ड नं० 25 से संबंधित भवन के निर्माण, पुनर्निर्माण या परिवर्तन करने के कार्य की बाबत मैं प्रमाणित
करता हूँ कि अनुमोदन के लिए प्रस्तुत की गई भवन की संरचनात्मक योजनाएं और ब्यारे भारत की राष्ट्रीय
भवन संहिता, 2005 के भाग-6 (संरचनात्मक डिजाइन) तथा अन्य में तुल्य संगत संहिताओं में यथाप्रयोज्य, यथा
अनुबंधित चक्रवात और भूकंप आदि जैसी प्राकृतिक आपदाओं सहित सभी स्थितियों में संरचनात्मक सुरक्षा की
अपेक्षाओं का समाधान करते हैं, और उसने दो गई सभी सूचनाएं मेरी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार तथ्यात्मक
तौर पर सही हैं। मैं निर्माण के हरेक चरण (नींव डालने के बाद और हरेक तल की ढलाई के बाद) में कार्य
के पर्यवेक्षण के संबंध में जिम्मेवारी लेता हूँ और प्राधिकार को नियमित रूप से इस आशय का प्रतिवेदन
समर्पित करूंगा कि भवन का निर्माण अनुमोदित योजना के अनुरूप तथा मेरे द्वारा तैयार की गई संरचनात्मक
योजना के अनुसार हो रहा है। यदि योजना/डिजाइन में गलत बयानी या कपट पूर्ण जानकारी अंतर्विष्ट हो
तथा निर्माण में अनुमोदित योजना से विचलन किया जाता हो या गलत असुरक्षित संरचनात्मक डिजाइन के
कारण संरचनात्मक विफलता होती हो या घटिया सामग्री और या खराब कारीगरी के कारण निवासियों/जन
सामान्य को खतरा उत्पन्न होता हो तो मेरी जिम्मेवारी होगी और 4/6 प्राधिकार/सरकार द्वारा कार्रवाई
किए जाने का भागी हूँगा।

संलग्न- डिजाईन बेसिस रिपोर्ट

स्वामी का हस्ताक्षर तारीख सहित

नाम :

पता :

पंजीकृत अभियंता/संरचना अभियंता का हस्ताक्षर
Manoj Kumar Bhagat
तारीख और पंजीकरण संख्या सहित
Chartered Engineer (Civil)
Nagar Nigam, Purnea
Reg. No-12/2015

भवन उपविधि, 2014

Or. M. Authority

WARD NO.- 25, HOLD. NO.- 18

कार्यालय नगर निगम, पूर्णियाँ

फारम-III

संरचनात्मक सुरक्षा की अपेक्षाओं के अनुसार कार्य के निष्पादन का प्रमाण-पत्र
उप-विधि सं०- 5(6)(VII)

प्रेषक,

राजकुमार लाल
मिनेकरी रोड
खुर्दवा

(आवेदक का नाम और पता बड़े अक्षरों में)

सेवा में,

नगर निगम
नगर निगम, पूर्णियाँ

नगर निगम/नगर परिषद/नगर पंचायत/महानगर क्षेत्र/बिहार
शहरी आयोजना तथा विकास अधिनियम, 2012 के अधीन अधिसूचित
विकास योजना/आयोजना प्राधिकार/आयोजना स्कीम की प्लॉट नं० (सी०एस०) 57/
प्लॉट नं० (एम०एस०पी०) खाता नं० 75/ होलिंग नं० 18
गौव खुरदवा मोहल्ला खुर्दवा-वार्ड नं० 25 के बाबत भवन निर्माण, पुनर्निर्माण के
भवन कार्य या उसमें परिवर्तन करने के संबंध में मैं प्रमाणित करता हूँ :-

1. कि भवन का निर्माण स्वीकृत योजना और संरचनात्मक डिजाइन (यथानिर्धारित आरेखन नक्शा) की प्रति अनुलग्नक जिसमें भारत की राष्ट्रीय भवन संहिता, 2005 के भाग-6 (संरचनात्मक/डिजाइन) में तथा सुसंगत संहिताओं में यथाविनिर्दिष्ट संरचनात्मक संरक्षा मानकों के उपबंध भी सम्मिलित है, के अनुसार किया गया है, और कि यह डिजाइन परिशिष्ट-A बिहार में भूकम्पीय खतरों से न्यूनीकरण के लिये, भवनों के निरूपण एवं निर्माण का परिपत्र, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, पत्रांक-10/विधि/अप०प्र०प्रा०-13/2011-2253/आ०प्र०, बिहार सरकार, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (आपदा प्रबंधन विभाग) में नियत भूकम्पीय सुरक्षा अपेक्षाओं का अनुसरण करता है।
 2. कि निर्माण मेरे पर्यवेक्षण और मार्गदर्शन में किया गया है और प्रस्तुत आरेखनों और विनिर्देशों का पालन किया गया है तथा पर्यवेक्षण के अभिलेख अनुरक्षित किए गए हैं।
- कार्य समापन आरेखनों में किन्हीं परमात्परी परिवर्तनों का उत्तरदायित्व स्वामी का होगा।

स्वामी का हस्ताक्षर तारीख सहित

सहस्रम तकनीकी व्यक्ति का नाम एवं हस्ताक्षर
निबंधन सं० एवं तिथि सहित
Chartered Engineer (India)
Nigam, Purnia
Reg. No. 12/2015

नाम :

पता :

नगर निगम, 2014

कार्यालय नगर निगम, पूर्णियाँ

फारम-IV

संरचनात्मक स्थायित्व का प्रमाण-पत्र

उप-विधि सं०- 5(6) VIII & 6(2), नोट-2

.....2/10/21..... नगर निगम/नगर परिषद/नगर पंचायत/महानगर क्षेत्र/बिहार शहरी आयोजना
तथा विकास अधिनियम, 2012 के अधीन अधिसूचित विकास योजना/आयोजना
प्राधिकार/आयोजना स्कीम के प्लॉट नं० (सी०एस०) 511 प्लॉट नं० (एम०एस०पी०) 1
..... खाता नं० 751 होल्डिंग नं० 18 गाँव 4/6 मोहल्ला 10/14
..... वार्ड नं० 25 से संबंधित भवन के निर्माण, पुनर्निर्माण या परिवर्तन करने के कार्य की बाबत मैं प्रमाणित
करता हूँ कि अनुमोदन के लिए प्रस्तुत की गई भवन की संरचनात्मक योजनाएं और ब्योरे भारत की राष्ट्रीय
भवन संहिता, 2005 के भाग-6 (संरचनात्मक डिजाइन) तथा अन्य में सुसंगत संहिताओं में यथाप्रयोज्य, यथा
अनुबंधित चक्रवात और भूकंप आदि जैसी प्राकृतिक आपदाओं सहित सभी स्थितियों में संरचनात्मक सुरक्षा की
अपेक्षाओं का समाधान करते हैं, और उसने दी गई सभी सूचनाएं मेरी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार तथ्यात्मक
तौर पर सही हैं। मैं निर्माण के हरेक चरण (नींव डालने के बाद और हरेक तल की ढलाई के बाद) में कार्य
के पर्यवेक्षण के संबंध में जिम्मेवारी लेता हूँ और प्राधिकार को नियमित रूप से इस आशय का प्रतिवेदन
समर्पित करूंगा कि भवन का निर्माण अनुमोदित योजना के अनुरूप तथा मेरे द्वारा तैयार की गई संरचनात्मक
योजना के अनुसार हो रहा है। यदि योजना/डिजाइन में गलत बयानी या कपट पूर्ण जानकारी अंतर्विष्ट हो
तथा निर्माण में अनुमोदित योजना से विचलन किया जाता हो या गलत असुरक्षित संरचनात्मक डिजाइन के
कारण संरचनात्मक विफलता होती हो या घटिया सामग्री और या खराब कारीगरी के कारण निवासियों/जन
सामान्य को खतरा उत्पन्न होता हो तो मेरी जिम्मेवारी होगी और 2/10/21 प्राधिकार/सरकार द्वारा कार्रवाई
किए जाने का भागी हूँगा।

संलग्न- डिजाईन बेसिस रिपोर्ट

स्वामी का हस्ताक्षर तारीख सहित

नाम :

पता :

पंजीकृत अभियंता/संरचना अभियंता का हस्ताक्षर

Manoj Kumar Dhagat
तारीख और पंजीकरण संख्या सहित
Chartered Engineer (India)
Nagar Nigam, Purnea
Reg. No-12/2015

भवन उपविधि, 2014

WARD NO.- 25, HOLD. NO.- 18

कार्यालय नगर निगम, पूर्णियाँ

फारम-V

पर्यवेक्षण के लिए फारम

उपविधि संख्या- 5(6)(IX)

मैं एतद द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि 510/18 नगर निगम/नगर परिषद/नगर पंचायत/महानगर क्षेत्र/बिहार शहरी आयोजना तथा विकास अधिनियम, 2012 के अधीन अधिसूचित विकास योजना/आयोजना प्राधिकार/आयोजना स्कीम के
प्लॉट नं० (सी०एस०) 5/1 प्लॉट नं० (एम०एस०पी०) खाता नं० 751 होल्डिंग नं० 18 गाँव 510/18 मोहल्ला वार्ड नं० 25 के पक्ष में विकास/निर्माण/पुनर्निर्माण/ढहाई या सामग्री परिवर्तन के लिए मेरे पर्यवेक्षण में कार्यों का संपादन किया जायगा और प्रमाणित करता हूँ कि सभी सामग्रियों (प्रकार एवं ग्रेड) और कार्य का वर्कमैनशिप सामान्य एवं विस्तार पूर्वक विनिर्देशों के अनुसार जैसा जमा किया गया है, उसके अनुसार एवं कार्य का संपादन स्वीकृत नक्शे के अनुसार किया जाएगा।

दिनांक-.....

सूचीबद्ध तकनीकी व्यक्ति का हस्ताक्षर
Manoj Kumar Bhagat
B.E. (Civil) FIV
Ch. तकनीकी व्यक्ति का नाम
Nag. Nigam, Purnea
REG. NO. 511A, B, C, D
15

पता

नवन उपविधि, 2014

WARD NO.- 25, HOLD. NO.- 18

कायलिय नगर निगम, पूर्णियाँ

आवादी घनत्व				
सीढ़ी की संख्या				
लिफ्ट की संख्या				
रिचार्जिंग पीट				
जमा की गई फी				
अन्य कोई मद				
छूट				
a. ऊँचाई				
b. सेट बैक				
c. एफ०ए०आर०				

18. क्या हवाई अड्डा फनल जोन के नियंत्रण में है नहीं
19. स्थल पर प्रस्तावित भौतिक आधारभूत संरचना का उपबन्ध
- जल आपूर्ति
 - मल निकास
 - जल निकास
 - विद्युत संस्थापन (लगाना)
20. जमा किए गए प्रमाण-पत्र/अनापत्ति : आर०एस०/आर०एन०एस०/एन०आर
- सामान्य शपथ-पत्र
 - संरचनात्मक स्थिरीकरण प्रमाण-पत्र
 - पर्यवेक्षण का फारम
 - अग्निशाम पदाधिकारी से अनापत्ति प्रमाण-पत्र
 - जल आपूर्ति/मल निकास/ जल निकास/अपशिष्ट निपटारा/ फायर फाइटिंग के गुणवत्ता पूर्ण निर्माण के सम्बन्ध में जिसका नहीं कही लागू हो।
 - कोई दूसरा (विनिर्दिष्ट)
- एन०वी० (आर०एस०: जरूरत और जमा किया, आर०एन०एस०: जरूरत जमा नहीं किया, एन०आर०: जरूरत नहीं)
21. तकनीकी व्यक्ति और बिल्डर की सबद्धता-
- वास्तुविद्/अभियंता
 - अभियंता/संरचनात्मक अभियंता
 - बिल्डर
 - कोई अन्य
- नाम :- राजीव कुमार
वास्तुकला परिषद की संख्या
सूचीकरण संख्या :
नाम : मनोज कुमार
सूचीकरण संख्या :
नाम :
सूचीकरण संख्या :
.....

RAJEEV KUMAR
Certified Architect
Purnea Nagar Nigam
Regd. No 11/15

मवन व्यवधि, 2014

Manoj Kumar Bhagat
B.E. (Civil) FIV
Chartered Engineer (India)
Purnea, Purnea
Reg. No-12/2015

तकनीकी व्यक्ति का हस्ताक्षर

WARD NO.- 25, HOLD. NO.- 18

कार्यालय नगर निगम, पूर्णियाँ

फारम-VIII - क

भवन की परमिट के अनुमोदन का फारम

उपविधि संख्या- 8(4)

आप के आवेदन संख्या- 434/18-19 तिथि- के संदर्भ में श्रीमति/श्री राज कुमार साहू
..... के लिए

(क) 791 भवन के निर्माण

(ख) भवन के पुनर्निर्माण

(ग) भवन के परिवर्तन

(घ) विद्यमान भवन में परिवर्तन या परिवर्धन

(ङ) भवन के उपयोग में परिवर्तन

410/21 नगर निगम/नगर परिषद/नगर पंचायत/महानगर क्षेत्र/बिहार
शहरी आयोजना तथा विकास अधिनियम, 2012 के अधीन अधिसूचित

विकास योजना/आयोजना प्राधिकार/आयोजना स्कीम के प्लॉट नं०
(सी०एस०) 511 प्लॉट नं० (एम०एस०पी०) खाता नं० 751 होल्डिंग नं० 18

गौव 410/21 मोहल्ला 100/40/40 प्लॉट नं० 25 के बाबत निम्नलिखित

शर्तों/निर्बंधनों के अध्याधीन एतद् द्वारा अनुमति प्रदान की जाती है :-

(क) भूमि/भवन का उपयोग अनन्य रूप से 2019/19 प्रयोजन के लिए किया जाएगा और इस प्राधिकार के पूर्व अनुमोदन के बिना उपयोगों को किसी अन्य उपयोग के लिए परिवर्तित नहीं किया जाएगा।

(ख) विकास पूर्ण रूप से आवश्यक अनुमति के पृष्ठांकन के साथ संलग्न योजनाओं के अनुसार किया जाएगा।

(ग) अनुमोदित योजना में दर्शाया गया 298.09 वर्ग मीटर का पार्किंग स्थान खुला रखा जाएगा और इसके किसी भाग पर निर्माण नहीं किया जाएगा।

(घ) प्रस्तावित निर्माण वाली भूमि 12.2 मीटर चौड़ाई के अनुमोदित पहुंच मार्ग के माध्यम से सुगम्य होगी।

(ङ) प्रश्नगत भूमि आवेदक के विधिपूर्ण स्वामित्व एवं शांतिपूर्ण कब्जा में अवश्य हो।

(च) सड़क को मानक चौड़ाई तक और चौड़ी करने के लिए आवेदक, विभिन्न विकास योजना/आयोजना प्राधिकारों/या बिहार शहरी आयोजना तथा विकास अधिनियम, 2012 के अधीन अधिसूचित किसी योजना स्कीम के अधीन आच्छादित सुसंगत आयोजना प्राधिकार/ग्राम पंचायत क्षेत्रों के अधीनस्थ 410/21 नगर निगमों/नगर परिषद/नगर पंचायत/महानगर क्षेत्र/आयोजना क्षेत्र में 1.5 मीटर चौड़ी भूमि की पट्टी मुफ्त उपहार के रूप में देगा।

(छ) अनुमति (अनुज्ञा) जारी कए जाने की तारीख से तीन वर्षों की अवधि के लिए विधिमान्य होगी।

(ज) इस उपबंध के अधीन दी गयी अनुमति को उस मूखंड, जिसके लिए योजना अनुमोदित की गयी हो, के अधिकार, हक, हित की बाबत साक्ष्य नहीं मानी जाएगी।

(झ) योजना के अनुमोदन के पश्चात् मू-अभिलेख के कारण या अधिकार/हक/हित की बाबत कोई विवाद होने पर विवाद की अवधि के दौरान योजना का अनुमोदन स्वतः रद्द सनझी जाएगी।

(ञ) कोई अन्य शर्त।

आदेशानुसार
प्राधिकृत पदाधिकारी/प्राधिकार

भवन उपविधि, 2014

WARD NO.- 25, HOLD. NO.- 18